[2022] 18 एस०सी०आर० 391

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 4583/2022

एम/एस एसएस इंजीनियर्स ..... अपीलकर्ता

बनाम

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि एवं ओ.आर.एस..... प्रतिवादी

15 जुलाई, 2022

इंदिरा बनर्जी और वी० रामसुब्रणियन, जे०जे०

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 7-9 - निर्धारित किया गयाः एन. सी. एल. टी., यू/की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस. 7 या एस. 9 , ऋण संग्रह मंच नहीं है-आईबीसी दिवाला और दिवालियापन से निपटना और/या निपटना-यह आई. बी. सी. का उद्देश्य नहीं है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

(सी. आई. आर. पी.) एक परिचालन लेनदार द्वारा दावा किए गए विवादित बकाया का भुगतान नहीं करने के लिए विलायक कंपनियों को दंडित करने के लिए शुरू किया जाना चाहिए-वहाँ

एक वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की प्रक्रिया और एक परिचालन लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बीच आई. बी. सी. में ध्यान देने योग्य अंतर हैं। 8 और 9, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एक परिचालन लेनदार केवल तभी सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया को शुरू कर सकता है, जब कोई निर्विवाद ऋण हो और उसके भुगतान में चूक हो।

- यदि एक परिचालन लेनदार का दावा निर्विवाद है और

परिचालन ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है, सी. आई. आर. पी. शुरू होना चाहिए, क्योंकि आई. बी. सी. किसी परिचालन लेनदार की बकाया राशि का भुगतान करने में बेईमानी या जानबूझकर विफलता को स्वीकार नहीं करता है-हालांकि, यदि ऋण विवादित है, तो सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए परिचालन लेनदार का आवेदन खारिज किया जाना चाहिए-वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के कथित दावे के संबंध में एक पूर्व-मौजूदा विवाद था-एच. पी. सी. एल. के खिलाफ परिचालन लेनदार (प्रतिवादी संख्या। 1) या इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एच. बी. एल.-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.)

ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से गलती की। एस 9 के रूप में

एच. बी. एल.-एन. सी. एल. ए. टी. के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए परिचालन लेनदार

एच. बी. एल. की ओर से दायर अपील को उचित रूप से स्वीकृत की गई-एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं।

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड v. कीरूसा सॉफ्टवेयर

प्राइवेट लिमिटेड (2018) 1 एस. सी. सी. 353: [2017] 10 एस. सी. आर. 1006; के. किशन बनाम विजय निर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड (2018) 17 एस. सी. सी. 662: [2018] 10 एससीआर 959-पर निर्भर।

391 [2022] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 1006

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

उस पर भरोसा करें

[2018] 10 एससीआर 959

पैरा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4583 2022 तक।

राष्ट्रीय संविधान के 10.01.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 332 में कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

रतनको बनर्जी, संजीव सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री पूनम वर्मा, सिद्धार्थ सेठी, सुश्री साक्षी कपूर, अविनाश दास, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., संजय कपूर, सुश्री मेघा कर्णवाल, अर्जुन भाटिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

यह अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित 10 जनवरी, 2022 के फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 हिंदुस्तान द्वारा दायर कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 332/2020 की अनुमति दी गई है। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 12.02.2020 के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 9 के तहत परिचालन ऋणदाता के रूप में दायर आवेदन को एचपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड (एचबीएल) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी)

शुरू करने के लिए स्वीकार कर लिया। एनसीएलएटी ने निर्णायक प्राधिकारी एनसीएलटी को एचबीएल के खिलाफ शुरू की गई सीआईआरपी की कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया।

2. दिनांक 15.11.2018 को या इसके आसपास, अपीलकर्ता ने एनसीएलटी, कोलकाता पीठ में आईबीसी की धारा 9 के तहत एचबीएल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया । दिनांक 07.03.2019 को, एचबीएल ने अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए उक्त आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया और अपीलकर्ता ने उस पर एक प्रत्युत्तर भी दायर किया।

3. दिनांक 12.02.2020 के एक आदेश द्वारा, निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) ने, एचबीएल द्वारा उठाए गए विवाद को खारिज करते हुए कि दावे के संबंध में पार्टियों के बीच पहले से मौजूद विवाद थे, अपीलकर्ता द्वारा दायर सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया।

4. अपीलकर्ता द्वारा दायर तिथियों की सूची से, ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 27.06.2012 से 30.08.2012 के बीच, लौरिया और सुगौली में एचबीएल के बॉयलिंग हाउस की क्षमता को 1750 टीसीडी से 3500 टीसीडी तक बढ़ाने के लिए एचबीएल द्वारा विभिन्न निविदाएं जारी की गई थीं।

5. अपीलकर्ता ने निविदाओं के अनुसार अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिनांक 15.10.2012 को या उसके आसपास, बॉयलर हाउस की क्षमता बढ़ाने के निविदा कार्य के संबंध में अपीलकर्ता को चार खरीद आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 01.11.2012 को, एचबीएल द्वारा टर्नकी आधार पर सुगौली प्लांट में जूस हीटर और इवेपोरेटर अनुभाग और पैन और क्रिस्टलीकरण अनुभाग को बढ़ाने के लिए खरीद आदेश जारी किए गए थे।

6. दिनांक 21.11.2012 से 25.03.2013 के बीच, अपीलकर्ता ने खरीद आदेशों के संबंध में चालान बनाए। इस न्यायालय के लिए इसके विवरण में जाना आवश्यक नहीं कि जब अपीलकर्ता ने एचबीएल के चालान जारी करना शुरू कि,दिनांक 21.11.2012 और 29.12.2013 के बीच क्या हुआ।

7. यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि दिनांक 29.12.2013 को, एचबीएल ने अपीलकर्ता को एक ईमेल भेजा था जिसमें बताया गया था कि अपीलकर्ता खरीद आदेश की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था और उसके तहत अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट रहा था, जिससे एचबीएल को भारी नुकसान हुआ। एचबीएल ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा

निविदाओं/खरीद आदेशों के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफलता के कारण उसे अन्य विक्रेताओं से सामग्री खरीदनी पड़ी।

8. दिनांक 02.01.2014 को, एचबीएल ने अपीलकर्ता को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता ने सामान्य नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, अन्य बातों के अलावा, आपूर्ति न की गई सामग्रियों के लिए अनुचित चालान जारी करना, बैंक गारंटी को नवीनीकृत नहीं करना, आपूर्ति करने में विफल होना और निर्धारित अवधि के अंदर कार्य पूर्ण करें। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा और/या आपूर्ति की गई सामग्री खराब गुणवत्ता की थी ।

9. दिनांक 03.01.2014 को, एचबीएल ने अपीलकर्ता द्वारा एचबीएल के गोदाम से स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों की खपत के संबंध में एक डेबिट नोट जारी किया। इसके बाद पत्राचार का सिलसिला शुरू हो गया। अपीलकर्ता को संबोधित दिनांक 11.4.2014 के एक पत्र द्वारा, एचबीएल ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा और/या आपूर्ति किए गए सामान के संबंध में आरोप लगाए और तर्क दिया कि अपीलकर्ता को एचबीएल से कोई भुगतान बकाया नहीं था।दूसरी ओर, एचबीएल ने दावा किया कि अपीलकर्ता पर 1.49 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जिसमें परिणामी नुकसान शामिल नहीं था।

10. दिनांक 07.5.2014 को, एचबीएल ने अपीलकर्ता को एक ईमेल भेजा जिसमें कहा गया कि एचबीएल अपीलकर्ता को पैसा जारी नहीं करेगा क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता खराब थी और अपीलकर्ता ने खरीद आदेशों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था। आगे पत्राचार शुरू हुआ।

11. दिनांक 11.03.2015 से 27.03.2018 के बीच अपीलकर्ता को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के साथ केंद्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और टर्नओवर) नियम, 1957 के नियम 12 (1) के तहत सी-फॉर्म जारी किए गए थे। केंद्रीय बिक्री कर के तहत सी-फॉर्म जारी करने का वैधानिक कर्तव्य, भुगतान करने के लिए अपीलकर्ता को एचबीएल के किसी भी दायित्व की स्वीकृति नहीं देता है और न ही बना सकता है।दिनांक 09.7.2016 को, अपीलकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से एचबीएल को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें भुगतान या वैकल्पिक रूप से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की मांग की गई।

12. दिनांक 30.08.2017 को, अपीलकर्ता ने आईबीसी की धारा 8 के तहत एचबीएल को एक डिमांड नोटिस भेजा जिसमें दावा किया गया कि18,12,21,452/- (रुपये अठारह करोड़

बारह लाख, इक्कीस हजार चार सौ बावन) रुपये ब्याज सहित, एचबीएल की ओर से अपीलकर्ता को दिनांक 30.12.2013 से देय था। अपीलकर्ता द्वारा एचबीएल को दिनांक 07.08.2018 को दूसरा डिमांड नोटिस भेजा गया था। एचबीएल ने दावे पर विवाद करते हुए 01.08.2018 को प्राप्त मांग नोटिस दिनांक 25.07.2018 का जवाब दिया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच पहले से विवाद थे और 09.07.2016 को परिचालन ऋणदाता द्वारा एचबीएल से विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध किया गया था।

13. आईबीसी की धारा 8. परिचालन ऋणदाता द्वारा दिवाला समाधान।—(1) एक परिचालन ऋणदाता, किसी चूक की स्थिति में, अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग नोटिस या कॉर्पोरेट देनदार को डिफ़ॉल्ट में शामिल राशि के भुगतान की मांग करते हुए चालान की प्रति दे सकता है। प्रपत्र और तरीका जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) कॉर्पोरेट देनदार, उप-धारा (1) में उल्लिखित मांग नोटिस या चालान की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों की अवधि के भीतर परिचालन ऋणदाता के ध्यान में लाएगा-

(ए) किसी विवाद का अस्तित्व, 1[यदि कोई हो, या] ऐसे विवाद के संबंध में ऐसे नोटिस या चालान की प्राप्ति से पहले दायर मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता का रिकॉर्ड;

(बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान-

(i) बैंक खाते से अवैतनिक राशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति भेजकर-

कॉर्पोरेट देनदार की गिनती; या

(ii) रिकॉर्ड की एक सत्यापित प्रति भेजकर कि परिचालन ऋणदाता ने कॉर्पोरेट देनदार द्वारा जारी किए गए चेक को भुना लिया है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "डिमांड नोटिस" का अर्थ परिचालन ऋणदाता द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को दिया गया नोटिस है, जिसमें परिचालन ऋण के भुगतान की मांग की गई है, जिसके संबंध में डिफ़ॉल्ट हुआ है।

आईबीसी की धारा 9. परिचालन ऋणदाता द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन-(1) धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से दस दिनों की अवधि की समाप्ति केबाद , यदि परिचालन ऋणदाता को कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान नहीं मिलता है या धारा 8 की उप-धारा

(2) के तहत विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन ऋणदाता कॉर्पोरेट दिवालियापन शुरू करने के लिए निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्रारूप और तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ दायर किया जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) परिचालन ऋणदाता, आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा-

(ए) कॉर्पोरेट देनदार को परिचालन ऋणदाता द्वारा वितरित भुगतान या मांग नोटिस की मांग वाले चालान की एक प्रति;

(बी) इस आशय का एक हलफनामा कि अवैतनिक परिचालन ऋण के विवाद के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है;

(सी) परिचालन ऋणदाता के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र की एक प्रति, जो पुष्टि करती है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है, यदि उपलब्ध हो;

(डी) सूचना उपयोगिता के साथ किसी भी रिकॉर्ड की एक प्रति जो पुष्टि करती है कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है, यदि उपलब्ध हो; और

(ई) कोई अन्य सबूत जो पुष्टि करता हो कि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किसी भी अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है या ऐसी अन्य जानकारी, जो निर्धारित की जा सकती है।(4) इस धारा के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने वाला एक परिचालन ऋणदाता, अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए एक समाधान पेशेवर का प्रस्ताव कर सकता है।

(5) निर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (2) के तहत आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, एक आदेश द्वारा -

(i) आवेदन स्वीकार करेगा और ऐसे निर्णय की सूचना परिचालन ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार को देंगा, यदि,-

(ए) उप -धारा (2) के तहत किया गया आवेदन पूर्ण है;

(बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं है;

(सी) कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस परिचालन ऋणदाता द्वारा वितरित किया गया है;

(डी) परिचालन ऋणदाता को विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है; और

(ई) उप-धारा (4) के तहत प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii) आवेदन को अस्वीकार कर देगा और ऐसे निर्णय की सूचना परिचालन ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार को देगा, यदि-

(ए) उप धारा (2) के तहत किया गया आवेदन अधूरी है;

(बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान किया गया है;

(सी) लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस नहीं दिया है;

(डी) विवाद की सूचना पुनः दी गई है-

परिचालन ऋणदाता द्वारा प्राप्त किया गया है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है; या

(ई) किसी भी प्रस्तावित समाधान के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है-

बशर्ते कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, खंड (ii) के उप-खंड (ए) के तहत किसी आवेदन को खारिज करने से पहले, आवेदक को निर्णायक प्राधिकारी से नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को सुधारने के लिए नोटिस देगा।

(6) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया इस धारा की उपधारा (5) के तहत आवेदन की स्वीकृति की तारीख से शुरू होगी।

14. दिनांक 15.02.2018 को, अपीलकर्ता ने एचबीएल के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आईबीसी की धारा 9 के तहत अपना आवेदन दायर किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है।दिनांक 12.02.2020 के आदेश द्वारा, निर्णायक प्राधिकारी (एनसीएलटी) ने अपीलकर्ता के उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। निर्णायक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा:

"17. जहां तक पहले से मौजूद विवाद का संबंध है, हमने कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बताए गए सभी तथ्यों का अध्ययन किया है, लेकिन आपूर्ति आदेश के संबंध में दावे की मात्रा को ध्यान

में रखते हुए, हमारे विचार में, देय और देय विवादित दावे की राशि अधिक होगी रुपये से अधिक हर हाल में एक लाख. इसलिए, ऐसे दावे कॉर्पोरेट देनदार के मामले में पर्याप्त मदद नहीं करते हैं। ऐसा कहने के बाद, हम 25 जून 2014 के कॉर्पोरेट देनदार के पत्र के साथ संलग्न अनंतिम विवरण का संदर्भ लेंगे, जिसकी प्रतिलिपि पेपर बुक के खंड 10 के पृष्ठ 1779 पर रखी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि तथ्यात्मक क्या है विभिन्न मुद्दों पर कॉर्पोरेट देनदार के रुख के अनुसार स्थिति। इस अनंतिम विवरण के अनुसार, कुल खरीद आदेश मूल्य 3818.72 लाख रुपये दिखाया गया है। अनुबंध के निष्पादन में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऑपरेशनल क्रेडिटर को प्रदान की गई सेवा, प्रवेश कर, टीडीएस, डब्ल्यूसीडी, पार्टियों को भुगतान/कॉर्पोरेट देनदार/उप-विक्रेताओं और उप-ठेकेदारों/विक्रेताओं द्वारा ऑपरेशनल क्रेडिटर को भुगतान सहित कई कटौतियां की गई हैं। परिचालन ऋणदाता का. व्यावसायिक प्रथा और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ये सामान्य कटौतियाँ हैं।

हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि 5% की दर से परिसमाप्त क्षति राशि रु. 190.94 लाख, निष्पादन बैंक गारंटी रु. 673.6 लाख, बॉयलर हाउस एक्सटेंशन पीओ को अंतिम रूप देने के लिए रु. 352.00 लाख का कार्य दावा और अतिरिक्त कार्य रु. 71 लाख पर भी विचार किया गया है। . कॉर्पोरेट देनदार द्वारा परिचालन ऋणदाता से प्राप्य 500 लाख रुपये के रूप में शुद्ध प्रभाव की गणना की गई है। यदि बॉयलर हाउस विस्तार और अतिरिक्त कार्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर से वसूली योग्य राशि घटकर 63.13 लाख हो जाती है। इसके अलावा, यदि प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए रखी गई राशि को ध्यान में रखा जाता है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को देय राशि 610.23 लाख रुपये (यानी 673-63.13) होती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एलडी 5% की दर से लागू है, जिसकी राशि रु. 190,94 लाख पहले ही काटी जा चुकी है। इसके अलावा, विक्रेता के जोखिम और लागत पर जारी किए गए खरीद आदेशों के संबंध में 400.55 लाख रुपये की राशि भी काट ली गई है। इस प्रकार, गैर-निष्पादन/डिफॉल्ट के लिए सभी वसूलियों पर विचार किया गया है और इसलिए, प्रदर्शन बैंक गारंटी की राशि शून्य वसूली यानी, 610.23 लाख कम से कम कॉर्पोरेट देनदार द्वारा परिचालन ऋणदाता को देय हो जाती है।

कार्यवाही में एक निर्णय प्राधिकारी के रूप में, हमें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले से मौजूद विवाद के दावे की वास्तविकता और बकाया ऋण की राशि का पता लगाने के लिए, तथ्यों और परिस्थितियों में यह आवश्यक था इसलिए, इसका विश्लेषण कॉर्पोरेट देनदार द्वारा तैयार और दायर किए गए अनंतिम विवरण के आधार पर किया गया है। दोहराव की कीमत पर, हम फिर से कहते हैं कि यह कथन कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उठाए

गए इन सभी विवादों पर विचार करता है, इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय राशि सकारात्मक बनी हुई है जो अंततः एक लाख से अधिक है, वह भी तब जब हमने विचार किया है केवल आपूर्ति भाग के निर्विवाद बकाया के परिचालन ऋणदाता के दावे के विरुद्ध समग्र रूप से परियोजना। हमने ईमेल का भी अध्ययन किया है जिस पर विचार किया गया है। इस अनंतिम विवरण को तैयार करते समय। इसलिए, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी अन्य विवाद पर विचार किया जाना बाकी है। इसके अलावा, जिस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है वह यह है कि कॉर्पोरेट देनदार ने बाद में ऑपरेशनल क्रेडिटर को नए कार्य आदेश दिए हैं, जिसका अर्थ है कि इस अनुबंध से संबंधित सभी विवादों पर विचार/समाधान किया गया था और यह तथ्य निर्विवाद बना हुआ है। इसके अलावा, फॉर्म "सी" मार्च 2018 तक जारी किया गया है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने इस आवेदन की स्वीकार्यता के सीमित उद्देश्य के साथ अनंतिम विवरण का विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण को राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसी भी तरीके से दावे की राशि जो वास्तव में देय और देय हो सकती है।"

15. हमारे विचार में, निर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) ने ऑपरेशनल क्रेडिटर के आवेदन को स्वीकार करके कानून की गंभीर गलती की है, भले ही पहले से मौजूद विवाद था जैसा कि निर्णायक प्राधिकरण ने नोट किया था।

16. आईबीसी की धारा 9 के तहत किसी आवेदन की जांच करते समय, निर्णायक प्राधिकारी को यह जांच करनी होगी कि (i) क्या परिचालन ऋण 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक है; (ii) क्या आवेदन के साथ दिए गए साक्ष्य से पता चलता है कि एक लाख रुपये से अधिक का ऋण देय था और तब तक भुगतान नहीं किया गया था; और (ii) क्या पार्टियों के बीच कोई विवाद था या ऐसे विवाद के संबंध में मांग नोटिस की प्राप्ति से पहले दायर मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड था। यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा

17. मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड(2018) 1 एससीसी 353, में, इस न्यायालय ने कहा:-

"34. इसलिए, अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी आवेदन की जांच करते समय निर्णायक प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा:

(i) क्या परिभाषा के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक का कोई "परिचालन ऋण" है? (अधिनियम की धारा 4 देखें)

(ii) क्या आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि उपरोक्त ऋण देय और देय है और अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? और

(iii) क्या ऐसे विवाद के संबंध में अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग नोटिस की प्राप्ति से पहले दायर किए गए किसी मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड पार्टियों के बीच मौजूद है?

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की भी कमी है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। उपरोक्त के अलावा, निर्णायक प्राधिकारी को धारा 9 के आदेश का पालन करना चाहिए , जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 9(5) के आदेश का पालन करना चाहिए, और आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 9(5) में उल्लिखित कारक पर निर्भर करता है।

***

51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब परिचालन ऋणदाता ने एक आवेदन दायर किया है, जो अन्यथा पूर्ण है, तो विवाद की सूचना प्राप्त होने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को धारा 9(5)(2)(डी) के तहत आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए। परिचालन ऋणदाता या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। यह स्पष्ट है कि इस तरह के नोटिस को परिचालन ऋणदाता के ध्यान में किसी विवाद के "अस्तित्व" या इस तथ्य को लाना चाहिए कि विवाद से संबंधित एक मुकदमा या मध्यस्थता कार्यवाही पार्टियों के बीच लंबित है। इसलिए, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है। अनाज को भूसी से अलग करना और नकली बचाव को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो महज दिखावा है। हालाँकि, ऐसा करने में, न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव सफल होने की संभावना है। न्यायालय इस स्तर पर ऊपर बताई गई सीमा को छोड़कर विवाद के गुण-दोष की जांच नहीं करता है। जब तक कोई विवाद वास्तव में अस्तित्व में है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तब तक निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना होगा।

18. के किशन बनाम विजय निर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड(2018) 17 एससीसी 662, में, एनसीएलएटी द्वारा उद्धृत अपने आक्षेपित फैसले में, इस न्यायालय ने कहा: - " इस निर्णय के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि परिचालन ऋणदाता इन्सॉल्वेंसी कोड का उपयोग समय से पहले या अनावश्यक विचारों के लिए या ऋण प्रवर्तन प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में नहीं कर सकते हैं। दो लाख रुपये की एक छोटी राशि के लिए एक मध्यस्थ पुरस्कार में शामिल परिचालन ऋण का खतरनाक परिणाम संभवतः कई करोड़ रुपये की अन्यथा विलायक कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता है। ऐसी कंपनी यह कहने के अपने अधिकार में होगी कि वह अपने खिलाफ पारित मध्यस्थ फैसले को चुनौती दे रही है, और चुनौती का मात्र तथ्य यह बताने के लिए पर्याप्त होगा कि वह फैसले पर विवाद करती है। ऐसा मामला स्पष्ट रूप से मोबिलॉक्स इनोवेशन [मोबिलॉक्स इनोवेशन (पी) लिमिटेड बनाम किरूसा सॉफ्टवेयर (पी) लिमिटेड , (2018) 1 एससीसी 353: (2018) 1 एससीसी (सिव) 311], पक्षों के बीच पहले से चल रहे विवाद का मामलाहोने के नाते पैरा 38 के अंतर्गत आएगा। इस संहिता का उपयोग आतंकवाद में दो लाख रुपये की धनराशि निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है, भले ही यह अंतिम रूप से देय न हो क्योंकि इसके संबंध में न्यायनिर्णयन कार्यवाही अभी भी लंबित है। हम दोहराते हैं कि संहिता का उद्देश्य, कम से कम जहां तक परिचालन लेनदारों का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को केवल स्पष्ट मामलों में डालना है, जहां पार्टियों के बीच बकाया ऋण के बारे में कोई वास्तविक विवाद मौजूद नहीं है।

.....

27. हम जोर देकर दोहराते हैं कि हमारी संहिता के तहत, जहां तक परिचालन ऋण का संबंध है, यह देखना होगा कि क्या उक्त ऋण को विवादित कहा जा सकता है, और हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि धारा 34 के तहत दाखिल याचिका से पता चलता है कि एक मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ पहले से मौजूद विवाद जो एक फैसले में कार्यवाही के पहले चरण में समाप्त होता है, फैसले के बाद भी जारी रहता है, कम से कम धारा 34 और 37 के तहत अंतिम न्यायिक प्रक्रिया होने तक ।

19. इस मामले में, पार्टियों के बीच पत्राचार से पता चलता है कि एचबीएल इस तर्क पर अपीलकर्ता के दावों पर विवाद कर रहा था कि अपीलकर्ता अनुबंध कार्य को पूरा करने के लिए समय-सारणी का पालन नहीं कर रहा था, शर्तों का उल्लंघन कर रहा था। निविदा दस्तावेज और खरीद आदेश, और उसके तहत अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटना, जिससे

एचबीएल को नुकसान हुआ। एचबीएल को घाटा उठाकर अन्य विक्रेताओं से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया गया था।

20. पार्टियों के बीच पत्राचार वास्तविक विवाद के अस्तित्व को दर्शाता है, विशेष रूप से एचबीएल से अपीलकर्ता को दिनांक 02.01.2014 का पत्र जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति नहीं की गई सामग्रियों के लिए अनुचित चालान बनाए थे और आपूर्ति को प्रभावित करने और कार्य को पूरा करने में विफल रहा था। एक निर्धारित अवधि; एचबीएल के गोदाम से स्पेयर और उपभोग्य सामग्रियों की अपीलकर्ता द्वारा खपत के संबंध में एचबीएल द्वारा दिनांक 03.01.2014 को जारी किया गया डेबिट नोट; अपीलकर्ता को एचबीएल की ओर से दिनांक 11.04.2014 का पत्र, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि एचबीएल की ओर से अपीलकर्ता को कोई भुगतान बकाया नहीं था और दावा किया गया कि अपीलकर्ता की ओर से एचबीएल को परिणामी हानियों को छोड़कर 1.49 करोड़ रुपये की राशि देय थी; एचबीएल की ओर से दिनांक 07.05.2014 को अपीलकर्ता को भेजे गए एक ईमेल में काम की खराब गुणवत्ता और खरीद आदेश के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई धनराशि जारी करने से इनकार कर दिया गया।

21. विवाद के अस्तित्व के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि एचबीएल ने एक विश्वसनीय बचाव किया था। इस स्तर पर संबंधित विवादों की विस्तृत जांच करना और विवाद के गुणों पर निर्णय देना निर्णायक प्राधिकारी का काम नहीं था।

22. जैसा कि एनसीएलएटी ने कहा:-

"वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में की जा रही है, हालांकि 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि आगे के कार्य आदेश जारी करने और मध्यस्थता का आह्वान करने वाले 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' द्वारा जारी किया गया नोटिस विवाद के अस्तित्व की श्रेणी में नहीं आता है, प्रतिद्वंद्वी विवादों के साथ रिकॉर्ड पर संचार की प्रकृति मांग जारी करने से पहले पार्टियों के बीच 'विवाद के अस्तित्व' को स्पष्ट करती है। सूचना।यह बार-बार माना गया है कि 'यह पर्याप्त है कि पार्टियों के बीच 'विवाद मौजूद है'।

पार्टियों के बीच संचार, जैसा कि पैरा 10 में बताया गया है, 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' द्वारा लागू मध्यस्थता के साथ पढ़ा जाता है, हमारा मानना है कि पार्टियों के बीच 'विवाद का अस्तित्व'

है जो एक वास्तविक विवाद है और यह कोई नकली, स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा समर्थित तथ्य का दावा नहीं है।"

23. विद्वान एनसीएलएटी ने सही पाया कि "निविदा पूछताछ दिनांक 27.06.2012", "बोलीदाताओं को निर्देश", "अनुबंध की सामान्य शर्तें" और "अनुबंध की विशेष शर्तें" के अवलोकन से पता चला कि निविदा 'डिजाइन' के लिए थी। इंजीनियरिंग, निर्माण, खरीद, आपूर्ति, साइट पर परिवहन, पारगमन और भंडारण, साइट पर बीमा भंडारण, परियोजना प्रबंधन, सिविल कार्य, यांत्रिक कार्य, विद्युत कार्य, उपकरण कार्य, यांत्रिक कार्य, विद्युत कार्य, उपकरण कार्य, निर्माण, स्थापना इंटरफेसिंग, परीक्षण, कमीशनिंग, प्रदर्शन परीक्षण, सफल वाणिज्यिक संचालन में लगाना और सिविल फाउंडेशन कार्य सहित लम्पसम टर्नकी आधार पर उबलते घर की क्षमता को 1750 टीसीडी से 3750 टीसीडी तक बढ़ाने के लिए सिविल फाउंडेशन सहित अतिरिक्त उपकरण सामान और सामग्री केन्द्रापसारक अनुभाग को सौंपना।यह भी विवाद में नहीं था कि अपीलकर्ताओं को दिनांक 13.06.2013 और 08.8.2013 को लम्पसम टर्नकी आधार पर आगे का काम जारी किया गया था।

24. एनसीएलएटी ने माना कि अनुबंध कार्य का निष्पादन एकमुश्त टर्नकी आधार पर होने के कारण, अपीलकर्ता ठेकेदार विनिर्देशों के अनुसार और एचबीएल की संतुष्टि के अनुसार कार्य के संपूर्ण निष्पादन के लिए जिम्मेदार था। काम पूरा होने पर, अपीलकर्ता ठेकेदार को साइट प्रभारी को इस तरह के पूरा होने की सूचना देनी थी, जो काम का निरीक्षण करेगा और अपीलकर्ता ठेकेदार को एक समापन प्रमाण पत्र देगा जिसमें अनुबंध कार्य में दोष, यदि कोई हो, और अनुबंध कार्य पूरा करनाकी तारीख का संकेत दिया जाएगा।

25. अपीलकर्ता को एचबीएल के दिनांक 11.08.2013 के पत्र का हवाला देते हुए, एनसीएलएटी ने पाया कि यह एचबीएल का मामला था कि ठेकेदार के रूप में अपीलकर्ता ने अनुबंध के संदर्भ में अपने दायित्वों के प्रदर्शन में देरी की थी। उपरोक्त पत्र में, एचबीएल ने अनुबंध के निष्पादन में अपीलकर्ता की खामियों और खामियों और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुबंध के विभिन्न उल्लंघनों को गिनाया और यह भी स्पष्ट दावा किया कि दिनांक 31.07.2013 तक एचबीएल की ओर से कोई राशि बकाया नहीं थी, बल्कि अपीलकर्ता से वसूली की गई।

26. आक्षेपित आदेश में, एनसीएलएटी ने एचबीएल से अपीलकर्ता को दिनांक 02.01.2014 को एक पत्र भेजा जिसमें अपीलकर्ता के कृत्यों और चूकों का विवरण दिया गया, जो

अपीलकर्ता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के समान था। आक्षेपित आदेश में कई अन्य पत्र भी दिए गए थे।

27. आक्षेपित आदेश एनसीएलटी के समक्ष अपीलकर्ता परिचालन ऋणदाता के उत्तर में दिए गए कथन पर ध्यान देता है कि 2013 से 2017 तक कई अनुरोधों और अनुस्मारक पत्रों के बावजूद, कॉर्पोरेट देनदार एचबीएल ने देय राशि का भुगतान नहीं किया, बल्कि निराधार आरोप और विवाद उठाए।

28. एनसीएलएटी ने पाया:

"13. ..... यह 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' का मामला है कि डिमांड नोटिस जारी करने से पहले कोई 'विवाद का अस्तित्व' नहीं है। बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में अपने ईमेल दिनांक 08.04.2013 में, 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' ने स्पष्ट किया था कि कार्य प्रगति शीघ्र भुगतान के अधीन है। 31 जुलाई, 2013 को 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा तत्काल और त्वरित भुगतान के अधीन कमीशनिंग तिथि के रूप में तय किया गया था। 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' ने हमेशा कमीशन देने और अपने दायित्वों को पूरा करने की इच्छा दिखाई थी और उनके वरिष्ठ कर्मियों को 'कॉर्पोरेट देनदार' की साइट पर तैनात किया गया था और अतिरिक्त कर्मचारी हमेशा समय-समय पर आते थे। बकाया भुगतान के लंबित होने के कारण ही 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' को चल रही परियोजना को निष्पादित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 'कॉर्पोरेट देनदार' तदर्थ भुगतान कर रहा था, लेकिन उठाए गए बिलों के अनुसार नहीं।

14. विद्वान वकील द्वारा दृढ़तापूर्वक तर्क दिया गया कि पिछले 6 आदेशों के पूरा होने के अंतिम समय में अगस्त 2013 में नए खरीद आदेश देने में 'कॉर्पोरेट देनदार' का आचरण, जबकि उसी समय, उनके प्रदर्शन के खिलाफ शिकायत की गई थी। , स्व-विरोधाभासी है और 'कॉर्पोरेट देनदार' के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। यह 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' का मामला है कि आपूर्ति किए गए सभी उपकरण अच्छी गुणवत्ता के थे और जो सभी वाल्व खरीदे गए थे वे केवल 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा अधिदेशित विक्रेता से थे। यदि 'कॉर्पोरेट देनदार' काम की गुणवत्ता या आपूर्ति की गई घटिया सामग्री से असंतुष्ट था, तो इस बात का कोई ठोस कारण नहीं है कि पिछले 6 अनुबंधों के अंत में नए अनुबंध क्यों दिए गए। बिलिंग ब्रेकअप के अनुसार 87% सामग्री और सेवाएँ पहले ही पूरी हो चुकी थीं और इसलिए 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा अतिरिक्त सामग्री की कम आपूर्ति या खरीद का सवाल ही नहीं उठता। यह भी दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' को केवल लंबित मूल बकाया के भुगतान में विफलता के कारण 'कॉर्पोरेट देनदार' को आपूर्ति रोकने के लिए बाध्य किया गया था, जो कि 13 करोड़ रुपये से अधिक है। 'कॉर्पोरेट देनदार' ने बिना किसी सहायक दस्तावेज के एकतरफा

विभिन्न डेबिट नोट जारी करना जारी रखा, जिसके लिए 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

15. 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' ने ईमेल दिनांक 02.02.2014 के माध्यम से भुगतान जारी करने की मांग की, यानी उपरोक्त पत्र के एक महीने बाद एक बार फिर 'कॉर्पोरेट देनदार' ने 04.02.2014 और 28.02.2014 को 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' के खराब प्रदर्शन को दोहराया, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ।

16. दिनांक 29.03.2014 को, यह 'कॉर्पोरेट देनदार' का मामला है कि 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' ने साइट छोड़ दी थी और इसलिए, 'कॉर्पोरेट देनदार' को परियोजना पर कब्जा करना पड़ा और विक्रेता को सभी प्रासंगिक भुगतान करना पड़ा। .

19. यह ध्यान रखना उचित है कि दिनांक 09.07.2016 को, 'संहिता की धारा 8 के तहत डिमांड नोटिस जारी करने से पहले', 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' ने 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा जारी 8 परियोजना आदेशों के अनुसार मध्यस्थता का आह्वान किया था। , जो स्वयं 'विवाद के अस्तित्व' को प्रमाणित करता है। मध्यस्थता का आह्वान करने वाले 'नोटिस' में, 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' ने कहा है कि 18,12,21,452/- रुपये का बकाया है और आगे कहा है कि वे मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए तैयार हैं।

22. पैरा 10 में उल्लिखित पार्टियों के बीच संचार को 'ऑपरेशनल क्रेडिटर' द्वारा लागू मध्यस्थता के साथ पढ़ा जाता है, हमारा मानना है कि पार्टियों के बीच 'विवाद का अस्तित्व' है जो एक वास्तविक विवाद है और यह कोई नकली, स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है।"

29. एचबीएल ने अपीलकर्ता के खिलाफ अपनी संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। एचबीएल के दिनांक 02.01.2014 के पत्र से यह स्पष्ट है कि एचबीएल अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देता रहा है कि विद्युत ऊर्जा के निर्माण और कमीशनिंग का काम नहीं किया गया था, अनुबंध कार्य पूरा करने की समय सीमा का पालन नहीं किया गया था और आपूर्ति किए गए उपकरणों की गुणवत्ता और/या किया गया कार्य खराब गुणवत्ता का था।

30. इस न्यायालय ने पाया कि एचपीसीएल या इसकी सहायक कंपनी एचबीएल के खिलाफ अपीलकर्ता के कथित दावे के संबंध में पहले से ही विवाद था। एनसीएलएटी ने एचबीएल की ओर से दायर अपील को सही ठहराया। इस न्यायालय का काम पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा करना और यह निर्धारित करना नहीं है कि वास्तव में, अपीलकर्ता की ओर से

एचपीसीएल/एचबीएल को कोई राशि बकाया थी या इसके विपरीत। सवाल यह है कि क्या आईबीसी की धारा 9 के तहत ऑपरेशनल क्रेडिटर के आवेदन को निर्णय प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए निर्णायक प्राधिकारी (एनसीएलटी) ने आवेदन स्वीकार करने में स्पष्ट रूप से गलती की।

31. एनसीएलटी, आईबीसी की धारा 7 या धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली मंच नहीं है।।BC दिवालियेपन और दिवालियापन से निपटता है और/या निपटता है। यह आईबीसी का उद्देश्य नहीं है कि परिचालन ऋणदाता द्वारा दावा किए गए विवादित बकाया का भुगतान न करने पर सॉल्वेंट कंपनियों को दंडित करने के लिए सीआईआरपी शुरू की जानी चाहिए।

32. वित्तीय ऋणदाता द्वारा सीआईआरपी शुरू करने की प्रक्रिया और परिचालन ऋणदाता द्वारा सीआईआरपी शुरू करने की प्रक्रिया के बीच आईबीसी में ध्यान देने योग्य अंतर हैं। आईबीसी की धारा 8 और 9 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि एक ऑपरेशनल क्रेडिटर केवल सीआईआरपी प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जब कोई निर्विवाद ऋण हो और उसके भुगतान में कोई चूक हो। यदि किसी परिचालन ऋणदाता का दावा निर्विवाद है और परिचालन ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, तो सीआईआरपी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आईबीसी परिचालन ऋणदाता का बकाया चुकाने में बेईमानी या जानबूझकर विफलता को स्वीकार नहीं करता है। हालाँकि, यदि ऋण विवादित है, तो सीआईआरपी शुरू करने के लिए परिचालन ऋणदाता के आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

33. हमें इस अपील में लगाए गए एनसीएलएटी के फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

34. अपील खारिज की जाती है।

35. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता अपने बकाया, यदि कोई हो, की वसूली के लिए मध्यस्थता सहित कानून के अनुसार उपलब्ध अन्य उपायों का लाभ उठा सकता है।

36. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपट गया ।

अपीलें स्वीकृत की जाती हैं।

परिवार न्यायालय, जामताड़ा